# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बापिणी जिला फलौदी

पीठासीन अधिकारी :— गजेन्द्र शर्मा आर.ए.एस

चीमाराम बनाम तहसीलदार बापिणी

अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>प्रकरण संख्या 101/2023 | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | प्रकरण में पैरोंकार अभिभाषक उपस्थित :—<br>अधिवक्ता प्रार्थी :— श्री विक्रमसिंह भाटी।<br>अप्रार्थी की ओर से :— राज—पैरोकार<br><br>—: निर्णय :—<br>दिनांक :— 13/02/2025<br><br>प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि का प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत माननीय न्यायालय उप—खण्ड अधिकारी लोहावट में दर्ज हुआ। उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय उप—खण्ड अधिकारी लोहावट के आदेश क्रमांक/प्रशासन गांव के संग/2021/365 दिनांक 06.12.2021 को ग्राम विश्वकर्मा नगर के मुल खसरा नम्बर 663, 666/1, 667/2, 658, 657/1, 656/4, 656 व ग्राम पुनासर खुर्द के मुल खसरा नम्बर 595/1 की खातेदारी भूमि में चल रहे कदीमी रास्ते की किस्म गै.मु. रास्ता घोषित कर नक्शा एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने बाबत तहसीलदार बापिणी का प्रस्ताव स्वीकार कर आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश की प्रथम अपील माननीय न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर में अपील संख्या 59/2022 के तहत पेश की जिसका निर्णय दिनांक 25.07.2022 को हो चुका है। पत्रावली पुनः कायम कर सभी पक्षकारों को सुनने के लिए पुनः नम्बर पर लिये जाने के निर्देश दिये गये।<br>उक्त निर्देशो की पालना के अनुक्रम में पत्रावली को दिनांक 17.10.2022 को उप—खण्ड अधिकारी लोहावट में पुनः दर्ज कर तहसीलदार बापिणी को पुनः मौका रिपोर्ट हेतु आदेशित किया गया।<br>तहसील बापिणी में उप—खण्ड अधिकारी कार्यालय नवसृजित हो जाने के कारण पत्रावली उप—खण्ड अधिकारी बापिणी को प्राप्त हुई तथा पुनः दिनांक 04.01.2023 को तहसीलदार बापिणी को तहरीर जारी की गयी।<br>इसी क्रम में दिनांक 02.09.2024 को पटवारी पुनासर द्वारा प्रार्थी को विधिवत सुचना देते हुऐ उसके साथ में मौका देखा गया तथा मौका फर्द बना कर मौके पर उपस्थित प्रार्थी स्वयं एवं अन्य मौतबिरानों के हस्ताक्षर करवा कर तहसीलदार बापिणी के माध्यम से मौका जांच रिपोर्ट को न्यायालय में पेश किया गया जिसे शामिल मिशल किया गया।<br>मौका जांच रिपोर्ट पर बहस हेतु दिनांक 13.02.2025 को मुकर्रर किया गया तथा पुनः दिनांक 19.02.2025 को पत्रावली वास्ते बहस हेतु न्यायालय के सामने रखी गयी। | |

Gujend

सहायक कलेक्टर बापिणी

प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट के आधार पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी जिसमें अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के पैराज को पुनः दौहराया तथा काटे गये रास्ता के खसरा नम्बर 630/595 को पुनः खातेदारी मे भाामिल करने की मांग दौहराई। राज पैरोकार का तहसीलदार बापीणी ने मौका रिपोर्ट का समर्थन करते हुए मौके पर चालु रास्ते में डाले गये अवरोधक को हटाकर रास्ता पुनः चालु करने की मांग की तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का आग्रह किया।

विद्वान अधिवक्ता की बहस, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तथा प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 630/595 रकबा 0.1560 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता, एक कदीमि रास्ता है तथा यह रास्ता पुनासर–वि वकर्मानगर सड़क को चाडी औसिया सड़क से जोड़ता है। मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार पूरा रास्ता बिन्दु संख्या A से K तक द ाया गया है जिसमे यह रास्ता केवल खसरा नम्बर 630/595 सीमा मे बिन्दु संख्या B से C तक को छोड़कर भोश पूरा रास्ता निर्बाध रूप से चल रहा है। मौका जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि बिन्दु संख्या B से C के मध्य प्रार्थी व सह–खातेदारों द्वारा मौके पर रेत एंव झाड़ीया डाल कर रास्ते को अस्थाई रूप से बंद किया हुआ है।

अतः सम्पुर्ण तथ्य व मौका जांच रिपोर्ट को दृश्टीगत रखते हुए पुर्व आदेश में कोई परिवर्तन या वर्तमान राजस्व रिकार्ड एंव नक्शे में तरमीम संशोधित कर खातेदारी में पुनः भाामिल करना उचित नहीं है। अतः न्यायालय का द्रष्टिकोण हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136, भू. राजस्व अधिनियम 1956 खारिज किया जाता है। तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम पुनासर खुर्द के खसरा नम्बर 630/595 रकबा 0.1560 हैक्टेयर गै.मु रास्ते की भूमि बाबत सक्षम स्तर पर हुऐ निर्णय व तहसीलदार बापिणी की मौके की रिर्पोट में सलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट–ए के अनुसार खसरा नम्बर 630/595 रकबा 0.1560 हैक्टेयर गै.मु रास्ते को यथावत रखा जाता हैं। तहसीलदार बापिणी को आदेशित किया जाता हैं कि गैर मुमकिन रास्ते में मौके पर पाये अवरोधकों को हटाकर रास्ते को चालू करवाया जाये जिससे आमजन को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पडे.। मौका रिपोर्ट परिशिष्ट–ए इस निर्णय का भाग रहेगा। पालनार्थ सम्बधित को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/02/2025 खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Gajend.

गजेन्द्र शर्मा आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी बापिणी
सहायक कलेक्टर बापिणी